न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

मुकदमा नम्बर :– 180/2024 (नया), 260/2012 (पुराना)

GCMS NO. 2024/405

खजानी पुत्री श्री गंगाराम पत्नी श्री झाबरमल उम्र 81 साल जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद मन्दौला तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा) **(मृतक)**

1/1. बसन्ती पुत्री झाबरमल
1/2. मिश्रो पुत्री झाबरमल
1/3. हरिसिंह पुत्र झाबरमल
1/4. कर्णसिंह पुत्र झाबरमल
1/5. शकुन्तला स्त्री पूर्णसिंह
1/6. सुरेन्द्र पुत्र पूर्णसिंह
1/7. नरेन्द्र पुत्र पूर्णसिंह
1/8. सुमन पुत्री पूर्णसिंह
1/9. सुशीला पुत्री पूर्णसिंह
जाति जाट निवासी मन्दौला तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

..................वादिया/वादीगण

– ब ना म –

1. सुमेर सिंह पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) **(मृतक)**

1/1. दलकोर पत्नी स्व. श्री सुमेर सिंह
1/2. विजयसिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
1/3. विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
1/4. रीता पुत्री स्व. श्री सुमेरसिंह
जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

2. मीरसिंह पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. विद्याधर पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. उप पंजीयक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested

....................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा – घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेश यादव अभिभाषक वादिया / वादीगण
2. श्री मुकेश चौधरी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 से 3

–: निर्णय :– **दिनांक :– 08.05.2025**

1. उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादिया की ओर से दिनांक **10.12.2012** को न्यायालय हाजा में पेश किया गया था। जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2018 से स्वीकार कर इस आशय की डिक्री जारी की गई कि ग्राम मनोहरपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल मूल खसरा नम्बर 25 जिसके विभाजन से निर्मित हुये खसरा नम्बर 25/1 से 25/7 कुल किता 7 कुल रकबा 5.95 हेक्टेयर में से वादिया को 4.93 हेक्टेयर का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
2. उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1/2, 2 व 3 के द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 की माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां प्रथम अपील संख्या 108/2018 बउनवानी विद्याधर आदि बनाम मृतका खजानी आदि संस्थित की गई, जिसे माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2024 से स्वीकार करते हुये न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 को अपास्त कर प्रकरण न्यायालय हाजा (विचारण न्यायालय) को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया है कि उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।
3. प्रकरण माननीय अपीलीय न्यायालय से न्यायालय हाजा (विचारण न्यायालय) को सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः नये नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दिनांक 28.10.2015 को वाद पत्र के प्रस्तुत जवाब दावा के समर्थन में दिनांक 17.02.2025 को दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल हाल भू प्रबन्ध विभाग प्रतिलिपि क्रमांक 277 दिनांक 26.09.2024, नकल जमाबन्दी संवत 2012 खाता संख्या 1/1 (13), नकल जमाबन्दी संवत 2026 खाता संख्या 18, नकल जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 खाता संख्या 18, नकल मिसल हैकियत संवत 2043 खाता संख्या 17, 23, 40, नकल जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 खाता संख्या 45, नकल जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 खाता संख्या 31, नकल जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 खाता संख्या 26, नकल जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 खाता संख्या 31, नकल जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 46, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015, 2016 से 2019, 2020 से 2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व ग्राम मनोहरपुरा तहसील बुहाना पेश की गई तथा सरपंच ग्राम पंचायत धूलवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.01.2019 मूल व संपरिवर्तन आदेश दिनांक 20.12.2004 की फोटो प्रति पेश की गई।

4. अधिवक्ता वादीगण की ओर से इस आशय की लिखित बहस पेश हुई कि :–

5. यह कि इस प्रकरण में वादिया खजानी स्व. गंगाराम की पुत्री है (प्रदर्श–1 से यह स्पष्ट है) तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के पैरा संख्या 01 में वादिया को स्व. गंगाराम की पुत्री होना तो स्वीकार किया है परन्तु गंगाराम के सन् 1936 में फौत होने के कारण वादिया का कोई हक हिस्सा विवादित सम्पति में नहीं होने का बचाव लिया है।

6. यह कि उपरोक्त अनुसार इस प्रकरण में तनकी संख्या 1 एवं 3) मुख्य विवाद यह है कि क्या हिन्दु उत्तराधिकार 1956 से पूर्व गंगाराम की मृत्यु होने के कारण उसकी पुत्री वादिया का विवादित सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं रहा ? इस संबंध में निवेदन है कि 1956 से पूर्व उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दु स्त्री के सम्पति में अधिकार अधिनियम 1937 प्रभावी था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम निर्णय Arunachala Gounder v/s Ponnusamy and others AIR 2022 SC 605 में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा है कि 1956 से पूर्व भी हिन्दु पुत्री को अपने पिता की स्व अर्जित तथा पैतृक दोनों सम्पतियों में उत्तराधिकार प्राप्त था।

7. यह कि इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार स्व. गंगाराम के हिस्से के एकमात्र उत्तराधिकारी वादिया खजानी देवी ही थी। अतः यह वाद सन् 1956 से पूर्व की हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

8. यह कि इस प्रकार वादिया द्वारा तनकी संख्या 1 को साबित किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा तनकी संख्या 4 को जो कि एक विधिक तनकी थी को साबित नहीं किया गया है। तनकी संख्या 04 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालया द्वारा स्पष्ट विधिक स्थिति निर्णित की गई है। अतः इन परिस्थितियों में वाद वादिया डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः अधिवक्ता वादिया/वादीगण ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादिया का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 3 डिक्री फरमाया जावे।

9. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 3 की ओर से इस आशय की लिखित बहस पेश हुई कि :–

10. यह कि वादिया ने अपने वाद पत्र में अपने पिता के नाम से गत ख.न. 25 रकबा 40 बीघा का खातेदार गंगाराम पुत्र तेजाराम जाट होना ग्राम मनोहरपुरा परगना सिंघाना ठिकाना खेतड़ी में 1932 में दर्ज रिकार्ड होना वाद पत्र में दर्ज किया है इस प्रकार से वादिया के पिता के नाम से 40 बीघा होना जाहिर किया है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हकपूर्वाधिकारी खूबी सेडा पुत्र तुला की खातेदारी में भू प्रबंधक विभाग दर्ज करना बताया है ऐसी स्थिति में वादिया के पिता के 40 बीघा में से 19 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादीगण के दर्ज होने के पश्चात शेष 20 [illegible] बिस्वा जिसकी खातेदारी में दर्ज हुई व उसके बाद में कितने [illegible] अपने वाद पत्र में कोई उल्लेख दर्ज नहीं किया है जब 40 बीघा वादिया [illegible] पिता की है तब उसकी 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि और दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन इस [illegible]त कोई राजस्व रिकार्ड का वादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ने उल्लेख नहीं किया कि उक्त भूमि उसकी स्वयं की खातेदारी में है या किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज है जबकी प्रतिवादीगण के पिता चार भाई क्रमशः लालचंद, हरनारायण, देवीराम, ज्ञानाराम पुत्र सेडू संवत 2012 में भूमि गत ख.न. 21 रकबा 55 बीघा 16 बिस्वा, ख.न. 16 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा, ख.न. 20 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार काश्तकार सभी दर्ज रिकार्ड है जो कि आधार जमाबंदी है जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस दिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व उसके भाई इस भूमि गत ख.न. 20, 16, 21 के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है। तथा काश्तकारी अधिनियम के अनुसार इसी आधार जमाबंदी से ही खातेदारी अधिकार निर्धारित होते है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हकपूर्वाधिकारी ने सन 1933 से लगातार उक्त भूमि का लगान अदा किया है तथा संवत् 2012 से वर्तमान तक उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में सेटलमेंट 1979–80 तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के दादा सेडू के चारों पुत्रों देवुराम, लालचंद व हरनारायण व ज्ञानाराम के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। भू0 प्रबंध विभाग ने उक्त चारों भाइयों का खाता विभाजन किया तब गत ख. 21 मीन व 20 से बने हाल ख.न. 25 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता ज्ञानाराम की खातेदारी में दर्ज कर विभाजन किया है। तथा गत ख.न. 21 मीन निर्मित हाल ख.न. 25 रकबा 0.08 है0, ख.न. 36/3 रकबा 0.03 है0, हाल ख.न. 40 रकबा 5.72 है0 की खातेदारी देबुराम पुत्र सेडुराम की खातेदारी में दर्ज की गई है तथा लालचंद हरनारायण पुत्रान सेडू की खातेदारी गत ख0 21 मीन से निर्मित हाल ख.न. 24 रकबा 0.07 है0, ख.न. 36/4 रकबा 0.33 है0 ख.न. 39 रकबा 1.06 है0, ख.न. 41 रकबा 0.01 है0, ख.न. 42 रकबा 0.10 है0, ख.न. 43 रकबा 5.70 है0 है। तथा गत ख.न. 16 से निर्मित हाल ख.न. 48 रकबा 4.76 है0 व ख.न. 88/3 रकबा 0.05 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 12.51 है0 दर्ज कर उनकी खातेदारी में दर्ज की गई है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि सम्वत 2012 में सेडू के चारों पुत्रों लालचंद, हरनारायण, देवीराम, ज्ञानाराम के नाम सहखातेदारी में दर्ज रही है। तथा भू प्रबंधक विभाग की कार्यवाही 1979–80 में विभाजन होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम से दर्ज हुई है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने भी विभाजन करवा लिया है। इस प्रकार से वादिया के तथाकथित पिता व स्वयं वादिया का संवत् 2012 या संवत् 1998–99 में कभी खातेदार दर्ज नहीं रही है। तथा ना ही जब काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस समय काश्तकार(आसामी ट्रिनेंट) दर्ज रही है। मात्र यह कह देने से की वह गंगाराम की पुत्री है उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। जब उसका तथाकथित पिता के नाम संवत् 2012 व उसके पश्चात कभी खातेदारी दर्ज नहीं है। तथा ना ही उसने कभी लगान अदा किया है तथा ना ही उनका कब्जा काश्त[illegible] जबकी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हकपूर्वाधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आया उस समय भूमि गत ख.न. 20 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, गत ख.न. 21 रकबा 55 बीघा 16 बिस्वा, गत ख.न. 16 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा उसके पश्चात लगातार खातेदार दर्ज रहे है। जब भू प्रबन्ध विभाग द्वारा 1979–80 के नये नम्बर निर्मित किये तब भी खातेदार काश्तकार दर्ज है। मात्र यह कह देने से की भूमि बंटाई पर दे रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भी कोई अधिकार वादिया को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वादिया का उक्त वाद खारिज होने योग्य है।

11. यह कि वादिया ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि गत ख.न. 26 रकबा 40 बीघा से ख.न. 20 निर्मित हुए हो और गत ख.न. 20 से पुनः ख.न. 26 निर्मित हुए है यदि 40 बीघा को हैक्टेयर में परिवर्तन करने पर 10.00 हैo बनते है जबकी गत ख.न. 20 का रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा है तथा हाल ख.न. 26 गत ख.न. 20, 21 से निर्मित हुआ है। तथा ऐसा मिलान क्षेत्रफल भी नहीं है कि किसी ख.न. के पहले ख.न. 26 निर्मित थे उसके पश्चात 20 निर्मित किए गए हो और पुनः 26 बनाये गये है वादिया ने मात्र काल्पनिक तथ्य दर्ज किए है। जबकि इस क्षेत्र में मात्र एक बार ही भूप्रबंधक विभाग की कार्यवाही 1979–80 में हुई है। जिसमें गत ख.न. 20 का रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी के नाम से दर्ज रहा है। तथा आधार जमाबंदी संवत 2012 से ही खातेदारी अधिकारी निहित होते है उस समय वादिया या उसका पिता खातेदार दर्ज नहीं है तथा ना ही उसके पश्चात उनके नाम से कभी खातेदारी दर्ज की है मात्र गंगाराम की पुत्री होने का उल्लेख किये जाने से खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है।

12. यह कि वादिया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 पेंशन अपने नाम से दर्ज होना बताकर गंगाराम की पुत्री होना उल्लेख किया है जो 1936 में बनना बताया है प्रदर्श 1 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पता चलता है कि जो गांव मनोहरपुरा थाना चिड़ावा व लोहारू दर्ज किया गया है। जबकि ठिकाना खेतड़ी कभी भी लोहारू रियासत के नीचे नहीं रहा है। तथा 1936 में लोहारू पंजाब स्टेट के अन्तर्गत आता था तथा हरियाणा का उदय 1/11/1966 को हुआ है। तथा उस समय उक्त लोहारू रोहतक जिले के अन्तर्गत आता है इस प्रकार लोहारू कभी भी राजस्थान का हिस्सा नहीं रहा है इस प्रकार प्रदर्श 1 फर्जी दस्तावेज है वैसे भी इसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है जब आधार जमाबंदी 2012 से भी पूर्व से प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी को खातेदारी में उक्त भूमि गत ख.न. 20, 16, 21 रही है। जो उनकी संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी उसके पश्चात उन्होंने 1979–80 के भूप्रबंधक की कार्यवाही में विभाजन करवाया प्रतिवादी संख्या 1 से के पिता की खातेदारी में दर्ज हुई है वादिया व उसके तथाकथित पिता द्वारा ना तो कभी लगान अदा किया है तथा ना ही रिकार्ड में उनका कभी नाम रहा है ना ही लगातार गिरदावरी में कभी कब्जे काश्त रहे हैं। इस प्रकार से वादिया को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

13. यह कि वादिया ने गवाह के रूप में स्वयं का P.W.1 के रूप में परीक्षित किया है उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि को रोडूराम काश्त करता था यह भी स्वीकार किया है। कि वर्तमान [illegible] करता है इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वाद वर्णित भूमि पर [illegible] मकान बनाकर रह रहे हैं। उक्त गवाह यह कथन करती है [illegible] प्रतिवादीगण ने मकान कब बनाया है जबकि वह वाद में यह [illegible] बटाई लेती रही है तब उसने जब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मकान बनाये तब क[illegible] कार्यवाही क्यों नहीं की यह गवाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह भी स्वीकार करती है कि प्रतिवादीगण ने खिजानी का कब्जा काश्त अपनी भूमि में ले रखा है जबकी रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण के पास इस भूमि के अलावा कोई भूमि खातेदारी में दर्ज नही है यह गवाह स्वीकार करती है कि वाद ग्रसित भूमि को प्रतिवादीगण काश्त करते है तथा यह भी स्वीकार करती है कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है तथा यह भी स्वीकार करती है कि मेरे पिता की मृत्यु से ही काबिज काश्त है प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में DW1 गौरसिंह को परीक्षित किया है- उक्त गंगाराम का कोई संबंध होना नही बताया उसका गंगाराम की मृत्यु कब हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है तथा इस गवाह ने बंटाई के लिए भी इंकार किया है। DW2 विद्याधर- उक्त गवाह जिरह में गंगाराम को नहीं जानता है उक्त खजानी को एक मात्र पुत्री होने के बारे में नहीं जानता है उक्त गवाह बंटाई पर देने लिए भी इनकार करता है उक्त गवाह कहता है कि गंगाराम किसी भी पीढ़ी में हमारा नातेदार नही रहा है। जबकि वादिया नजदीकी संबंध बता रही है जबकी वादिया मान गोत्र से है तथा प्रतिवादीगण चाहर गोत्र के है दोनों का पारिवारिक संबंध नहीं है। DW3 बलबीर पुत्र देवराम- उक्त गवाह का पिता देवुराम की संवत 2012 से इस भूमि गत ख.न. 20 रकबा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार रहा है। तथा 1979-80 में भू प्रबंधक विभाग द्वारा विभाजन किए जाने पर ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता ज्ञानाराम के नाम से दर्ज हुई है। उक्त गवाह भी गंगाराम को नहीं जानता है। DW4 हनुमान सिं पुत्र अमरसिंह-यह गवाह भी गंगाराम को नहीं जानता है तथा गंगाराम का कोई संबंध प्रतिवादीगण से होना नहीं बता रहा है। DW5 शेरसिंह पुत्र गणपत-यह गवाह भी खजानी को नहीं जानता है गंगाराम को नहीं देखा बता रहा है गंगाराम के एक ही लड़की हो तो उसको नहीं पता उक्त गवाह प्रतिवादीगण का पड़ौसी खातेदार काश्तकार है इस प्रकार से किसी गवाह अपने साक्ष्य में प्रतिवादी बंटाई पर काश्त करते हो ऐसी साक्ष्य नहीं आई है बल्कि स्वयं वादिया भी प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त बता रही है।

14. यह कि दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादीगण के पास 1933 से लेकर 1939 तक की लगान की रसीद प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी खूबी पुत्र तुला के नाम से है। तथा आधार जमाबंदी संवत् 2012 में प्रतिवादीगण का पिता ज्ञानाराम व उसका भाई लालचन्द, हरनारायण, देवीराम, पुत्रान सेडू इस भूमि गत ख.न. 20 के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है। तथा जमाबंदी संवत 2012 से 2030 व उसके पश्चात भी प्रतिवादीगण के पास है इस प्रकार से दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य से भी उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम से दर्ज रही है। तथा किसी भी खातेदार के अधिकार आधार जमाबंदी संवत 2012 से तय होते हैं उसी समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया है उसी दिन प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी खातेदा[illegible] दर्ज है तथा वादिया व उसका पिता ना तो खातेदार दर्ज है तथा ना ही आसामी [illegible] है इस प्रकार से वादिया का वाद खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

15. यह कि धारा 15 काश्त[illegible]दार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने की तारिख को जो व्यक्ति [illegible] भूमि काश्तकार आसामी टिनेंट थे उन्हें स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो गए है जबकि संवत 2012 की आधार जमाबन्दी में ज्ञानाराम,

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

आत्माराम, रामनारायण, देवुराम पुत्रान सेडूराम खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा उसके पश्चात अब तक खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रही है। इस प्रकार से वादिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अपने आप को आसामी, खुदकाश्त या बुटकाश्त का आसामी प्रमाणित नहीं कर सका वह खातेदारी अधिकारों का हकदार नहीं है। तथा भूप्रबंध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज सही माने जाएंगे जब तक कि उन्हें गलत प्रमाणित नहीं किया जाता इस संबंध में माननीय रेवेन्यू बोर्ड का निर्णय R.R.D. Page No. 178 में दर्शित किया गया है जो कि बहस के साथ संलग्न है जो व्यक्ति खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है उसको साबित करना होगा सबूत का भार वादी पर ही रहता है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 3 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादिया का वाद खारिज फरमाया जावे।

16. **वादिया द्वारा हस्तगत वाद को पेश करने का मुख्य आधार** :– कि राजस्व ग्राम मनोहरपुरा तहसील सिंघाना रिकार्ड खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा का सन् 1932 में वादिया का स्व. पिता श्री गंगाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादिनी स्व. श्री गंगाराम की इकलौती वारिस उत्तराधिकारी है। सन् 1956 में वादिया के पिता की मृत्यु हो गई थी। स्व. गंगाराम की मृत्यु के समय वादिया नाबालिग थी ऐसी स्थिति में खुबी पुत्र तुला जिसका स्व. गंगाराम से मेलजोल था ने स्व. गंगाराम की भूमि को काश्त किया और बटाई का हिस्सा वादिया व उसके संरक्षक को देता रहा। बालिग होने पर वादिया स्वयं काश्त करने लगी व कभी बटाई पर काश्त करा लेती, कभी स्वयं काश्त कर लेती। वादिया की शादी संवत 2001 में ग्राम रुदौल तह. चरखी दादरी जिला भिवानी (हरि.) में हो गयी। शादी के बाद वादिया ज्ञान राम पुत्र सेडू से बटाई पर काश्त कराती आ रही है। पिछले 6–7 सालो से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से बटाई पर काश्त करवाती आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवाने की बात कहने पर वादिया ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो पता चला कि वादिया के पिता स्व. गंगाराम की खातेदारी भूमि में से 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हकपूर्वाधिकारी खुबी पिता तुला ने भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिली भगत कर अपने नाम दर्ज करवा ली। सन् 1932 के खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा के रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा से सन् 1936–37 में खसरा नम्बर 20 तथा सन् 1979–80 में खसरा नम्बर 25 रकबा 4.93 हेक्टेयर निर्मित हुये है। सन् 1932 में वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा का खातेदार वादिया का स्व. पिता गंगाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट दर्ज रिकार्ड रहा है तथा वादिया वादग्रस्त भूमि को काश्त [illegible] मान भूमि खसरा नम्बर 25/1 से 25/7 रकबा 5.95 हेक्टेयर में से रकबा [illegible] हेक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से [illegible] काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

17. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की लिखित बहस पर मनन किया गया। वादिया के द्वारा वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हाल खसरा नम्बर 25/1 से 25/7 कुल किता 7 कुल रकबा 5.95 हेक्टेयर में से रकबा 4.93 हेक्टेयर की खातेदारी, खतौनी मौजा मनोहरपुरा परगना सिंघाना ठिकाना खेतड़ी सन् 1932 के खाता संख्या 8 के खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से हटाकर चाही है। वादिया के द्वारा उक्त जमाबन्दी को ही आधार बनाकर खातेदारी चाही है। उक्त जमाबन्दी (प्रदर्श–6) के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1932 के खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा का मूल खातेदार कुरड़ाराम वगैरह दर्ज रिकार्ड है। वादिया के स्व. पिता गंगाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी मनोहरपुरा केवल नम्बरदार को माल अदायगी पर खुद काश्त कृषक दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संवत् 2012 में लागू हुआ था। ठिकाना खेतड़ी जागिर समाप्त होने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने पर ठिकाना खेतड़ी से राज्य सरकार को संवत 1998 की मिसल हैकियत का राजस्व रिकार्ड प्राप्त हुआ था, जो वादिया के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में पेश नहीं की गई है। खसरा गिरदावरी संवत 1998 मौजा मनोहरपुरा तहसील सिंघाना ठिकाना खेतड़ी (प्रदर्श–4) के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1932 के खसरा नम्बर 25 से सन् 1936–37 संवत 1998 में निर्मित खसरा नम्बर 20 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा खाता संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हकपूर्वाधिकारी खुबा उर्फ खुबी, मूल खातेदार कुरड़ाराम वगैरह नम्बरदार को माल अदायगी पर खुद काश्त कृषक दर्ज रिकार्ड है। वादिया के द्वारा जिस जमाबन्दी सन् 1936 को खातेदारी हेतु आधार बनाया गया है, उससे कहीं भी यह साबित नहीं है कि वादिया का स्व. पिता गंगाराम वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 25 रकबा 40 बीघा का खातेदार बना हो। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा पत्रावली पर संवत 2012 से अब तक का जो राजस्व रिकार्ड पेश किया गया है, वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनके हकपूर्वाधिकारियों के नाम से ही है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट हो गया है, कि वादग्रस्त भूमि का, वादिया का स्व. पिता गंगाराम कभी भी खातेदार नहीं बना था। इसलिए वादिया राजस्व रिकार्ड के आधार पर हस्तगत वाद को अपने पक्ष में साबित करने में विफल रही है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादिया के वाद पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात के आधार पर वादिया/वादीगण का हस्तगत वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

19. अतः वादिया/वादीगण का हस्तगत वाद राजस्व रिकार्ड के आधार पर साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

20. निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

खजानी पुत्री श्री गंगाराम पत्नी श्री झाबरमल उम्र 81 साल जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद मन्दौला तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा) **(मृतक)**

1/1. बसन्ती पुत्री झाबरमल
1/2. मिश्रो पुत्री झाबरमल
1/3. हरिसिंह पुत्र झाबरमल
1/4. कर्णसिंह पुत्र झाबरमल
1/5. शकुन्तला स्त्री पूर्णसिंह
1/6. सुरेन्द्र पुत्र पूर्णसिंह
1/7. नरेन्द्र पुत्र पूर्णसिंह
1/8. सुमन पुत्री पूर्णसिंह
1/9. सुशीला पुत्री पूर्णसिंह
जाति जाट निवासी मन्दौला तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)

..................वादिया/वादीगण

– ब ना म –

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

1. सुमेर सिंह पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) **(मृतक)**

1/1. दलकोर पत्नी स्व. श्री सुमेर सिंह
1/2. विजयसिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
1/3. विजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुमेरसिंह
1/4. रीता पुत्री स्व. श्री सुमेरसिंह
जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

2. मीरसिंह पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. विद्याधर पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर [illegible] जिला झुंझुनूं (राज0)
5. उप पंजीयक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुं[illegible] (रा[illegible]
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा [illegible] शाखा प्रबन्धक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

..................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा बाबत :— घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :— 180/2024 (नया), 260/2012 (पुराना)

GCMS NO. 2024/405

निर्णय दिनांक :— 08.05.2025

वादिया/वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **08.05.2025** को **सुमन देवी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष **अंतिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

" वादिया/वादीगण का हस्तगत वाद राजस्व रिकार्ड के आधार पर साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **08.05.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested